

Ref: SD/114/115/11/12/2026-27

28.05.2026

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] Mumbai - 400 051 Scrip Code: CANBK
---	--

Dear Sir/Madam,

Sub: 24th Annual General Meeting (AGM)- Newspaper Publication.

Ref: 1. SD:107/108/11/12/2026-27 dated 27.05.2026 &

2. SD:109/110/11/12/2026-27 dated 27.05.2026.

With reference to 24th Annual General Meeting (AGM) of the Bank scheduled to be held on Tuesday, the 23rd June, 2026 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of Newspaper Publication (Clippings) published in Financial Express (English), Jan Satta (Hindi) and Vijayvani (Kannada) on 28.05.2026.

This is for your information and records.

Restricted

Yours faithfully,

**Santosh Kumar Barik
Company Secretary**

Big relief package soon for 45-GW stalled RE projects

SAURAV ANAND
New Delhi, May 27

THE CENTRE IS considering a one-time relief package for nearly 45 gigawatts (GW) of renewable energy (RE) projects awaiting power purchase agreements (PPAs), with the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) proposing transmission charge waivers, battery storage support, regulatory relaxations and flexible connectivity norms to revive the stalled green energy capacity.

One of the key proposals is a one-time 100% waiver of interstate transmission system (ISTS) charges for all pending projects if Power Supply Agreements (PSAs) or PPAs are signed within three months of the package's notification. A second option under consideration is waiving inter-state transmission charges as per regulations, plus an additional 25% waiver.

The package also mandates deemed Renewable Purchase Obligation (RPO) and Renewable Consumption Obligation (RCO) compliance for discoms from the date of signing of PPAs if agreements are executed within three months. To reduce regulatory delays, deemed tariff adoption will be facilitated within 45 days if state regulators take no action.

The move is aimed at salvaging these green energy projects for which Letters of Award (LoAs) have been issued but PPAs

REVIVING GREEN INITIATIVES

■ Among key proposals is one-time 100% waiver of ISTS charges for all pending projects if PSAs or PPAs are signed within three months of the package's notification

■ Waiving inter-state transmission charges as per regulations, plus an additional 25% waiver also proposed

■ Projects delayed due to non-readiness of transmission infra may continue to remain eligible for ISTS waiver benefits



are yet to be signed.

Power developers enter into PPAs with procurers, who in turn sign power supply agreements (PSAs) with electricity distribution companies (discoms).

The proposed package was prepared after a meeting with renewable energy developers held on May 6 under the chairmanship of the Adviser to the Prime Minister and attended by the Secretaries of the Ministries of Power and MNRE.

"Adviser to PM suggested that MNRE may prepare a one-time relief package specific to such stranded renewable energy projects," the ministry said in a note reviewed by FE.

The draft package groups

the proposed measures into two broad categories — "Demand-side facilitation measures aimed at making PSA execution more attractive to discoms and end-procurers" and "supply-side resolution options providing developers with clearly defined pathways to resolve their LoA status." "All measures are proposed without direct fiscal or subsidy support from the Central Government," the note stated.

The ministry also proposed that projects delayed because of non-readiness of transmission infrastructure may continue to remain eligible for ISTS waiver benefits based on the original scheduled commissioning date

(SCD). Another proposal allows projects tendered under ISTS-connected frameworks to connect to state transmission utility (STU) networks, where power is intended to be consumed within the same state.

To address discom concerns regarding grid balancing and non-solar hours supply, the package proposes allowing stand-alone solar projects to integrate two-hour Battery Energy Storage Systems (BESS) under Section 62 tariffs.

"Discoms' reluctance to sign PSAs stems from concerns about the ability of vanilla solar projects to fulfil their system requirements," the proposal noted. "Enabling 2 hours BESS with the Section 62 tariff can address such operational concerns without any change in the renewable energy project configuration or tariff."

"In several cases, discoms are reluctant to procure power through the ISTS route due to additional transmission charges and system costs," the proposal said, adding that STU connectivity could "reduce landed power cost, improve transmission utilisation efficiency, and make pending renewable energy procurement more commercially attractive for states."

"Regulatory delay/denial in SERC tariff approval is a frequently reported source of pendency in PSA execution," the note stated. "Deemed tariff adoption will directly reduce regulatory processing time."

Govt approves extension of SARTHAK PDS with outlay of ₹25,530 crore

THE GOVERNMENT ON Wednesday approved the continuation of the Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling with Automation in PDS (SARTHAK PDS) with a total outlay of ₹25,530 crore.

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by Prime Minister Narendra Modi, cleared the extension of the scheme for the next five years, aligned with the 16th Finance Commission award period.

The CCEA also approved revised norms for Central assistance to states and Union Territories for intra-state movement and handling of foodgrains, along with FPS dealers' margins, while continuing the existing funding pattern.

SARTHAK PDS is conceived as an umbrella scheme that integrates two ongoing initiatives — assistance to state agencies for intra-state movement of foodgrains and FPS dealers' margin under the National Food Security Act (NFSA), and the Scheme for Modernisation and Reforms through Technology in Public Distribution System (SMART PDS).

The scheme aims to provide assured financial support for intra-state transportation, handling of foodgrains and dealer margins, while establishing a unified, citizen-centric, intelligent and interoperable Public Distribution System architecture.

It seeks to ensure effective last-mile delivery, minimise leakages and strengthen the implementation of the National Food Security Act, 2013.



Coal gasification roadshow today

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 27

THE GOVERNMENT WILL hold a roadshow on Thursday to promote its newly launched ₹37,500 crore incentive scheme to promote surface coal and lignite gasification projects.

"The Ministry of Coal is gearing up to organise a roadshow tomorrow on scheme for promotion of surface coal/lignite gasification projects, launched with a financial outlay of ₹37,500 crore," an official statement said.

The initiative marks a significant step towards promoting coal gasification as a cleaner and value-added pathway for the efficient utilisation of the country's vast coal and lignite resources.

H.O., 112, J. C. ROAD, BENGALURU-560 002 www.canarabank.bank.in

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

Notice is hereby given that the **Twenty Fourth Annual General Meeting** of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Tuesday, the 23rd June 2026 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** in compliance with various Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Standalone and Consolidated Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2026, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2026, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare dividend for the financial year 2025-26.
- To consider and approve the appointment of Shri Sunil Kumar Chugh as Executive Director of the Bank.
- To consider and approve the appointment of Ms Shalini Pandit as Government Nominee Director of the Bank

In compliance with the aforementioned circulars, electronic copies of the Annual Report 2025-26 along with Notice of 24th AGM have been sent to all shareholders whose email IDs are registered with respective Depository Participant and Registrar and Transfer Agent (RTA). A copy of same is also available on Bank's Website www.canarabank.bank.in, websites of Stock Exchanges (BSE/NSE) and on website of e-voting agency <https://evoting.kfintech.com>. The Head Office is deemed to be the venue of the Annual General Meeting.

RECORD DATE / CUTOFF DATE :
The Record Date for reckoning Shareholders Rights for Dividend is Friday, the 12th June 2026, and cut-off date for e-voting through VC/OAVM is Tuesday, the 16th June 2026. Shareholders holding shares either in physical form or dematerialized form as on cut-off date are eligible to cast their vote electronically (Remote e-Voting) on the above-mentioned agendas.

RECORD DATE FOR PAYMENT OF DIVIDEND AND TDS APPLICABLE ON DIVIDEND:
The Record Date for payment of Dividend is 12th June 2026. The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration of dividend at the Annual General Meeting. In accordance with the provisions of the Income-tax Act, 2025 as amended from time to time ("Act"), dividend declared and paid by the Bank is taxable in the hands of its Shareholders and the Bank is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Shareholders at the applicable rates. A separate email communication has already been sent to the shareholders with regard to TDS on payment of Dividend.

REMOTE E-VOTING :
The remote e-Voting Portal will commence at 09:00 AM on Friday, the 19th June 2026 and will remain open for voting till 5.00 PM on Monday, the 22nd June 2026. Remote e-Voting Portal will be disabled after 05:00 PM on 22nd June 2026.

E-VOTING
The eligible Shareholders present at the 24th AGM through VC/OAVM facility and have not cast their votes on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the 24th AGM.


NOTES :

- Shareholders acquiring shares after the dispatch of Notice of 24th Annual General Meeting and holding shares as on cutoff date may obtain login ID and Password for e-voting / participating in AGM by sending request at evoting@kfintech.com.
- Shareholders who have cast their votes through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM but shall not be eligible to cast their votes again through e-voting at AGM.
- Only Persons whose name is recorded in the Register of Shareholders or Register of Beneficial Owners maintained by depositories as on cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting/e-voting and participate in the 24th AGM.
- The procedure for remote e-voting for shareholders holding shares in Physical form and dematerialized form is provided in Notice of AGM. The details will also be made available on the website of the Bank www.canarabank.bank.in.
- Shareholders who have not registered their mail address are requested to register the same with respective Depository Participants and members holding shares in physical form are requested to update the email ID with Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e., KFin Technologies Limited at inward.ris@kfintech.com to receive copies of Annual Report 2025-26, Notice of AGM, Instructions for remote e-voting, Instructions for participating in 24th AGM through VC / OAVM and Passwords for login.
- Shareholders who have not registered their mail address may temporarily register the same by clicking the link <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx>
- Shareholders who forget their log-in credentials may contact RTA (KFin Technologies Limited) at inward.ris@kfintech.com to retrieve / reset their login credentials.

In case of any queries / technical assistance related to e-voting or participating in AGM through VC / OAVM shareholder members may refer FAQs for members and e-voting user manual for Members available at our RTA (KFin Technologies Limited) website or toll free No 1-800-309-4001 or contact Mr. Sashidhar S Mannava, Vice President, KFin Technologies Limited at the following address:
KFin Technologies Limited (Unit : Canara Bank), Selenium Tower B, Plot No. 31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

h) The aggregate results of remote e-voting and e-voting at AGM shall be made available within two working days of the AGM at Bank's website, website of Stock Exchanges (BSE / NSE) and website of KFin Technologies Limited.

The Annual Report can be downloaded by scanning the QR code provided below.



Date: 27.05.2026
Place: Bengaluru

By Order of the Board of Directors
Santosh Kumar Barik
Company Secretary

PNGS Reva Diamond Jewellery Limited

CIN:L32111PN2024PLC236494
Abhiruchi Mall, 59/1C, Wadgaon Budruk, Sinhgad Road, Pune, 411041, Maharashtra, India
Website: www.revabypng.com | Email: investor@revabypng.com | Phone No. : +91 020 29980704

Notice to Equity Shareholders

This is to inform the Shareholders (the "Shareholders" or the "Members") of PNGS Reva Diamond Jewellery Limited ("Company") that the Second Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, June 24, 2026 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM which will be circulated to the Members.

This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with circulars issued earlier in this regard by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2025-2026 will be sent electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company/ National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (collectively referred to as "Depositories" / "DPs")/ Registrar & Transfer Agent ("Registrar" / "RTA"). The Company shall send a physical copy of the Annual Report to those Members who request for the same at investor@revabypng.com mentioning their Folio no./DP ID and Client ID.

The e-copy of the Notice along with the Annual Report, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.revabypng.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the stock exchange on which the securities of the Company are listed, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/ OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended and the MCA Circulars, the Company will provide the facility of remote e-Voting (e-Voting prior to and at the AGM) to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL. Detailed Procedure for remote e-Voting will be provided in the Notice of the AGM.

Since all the equity shares of the company are in Dematerialised form, Members are requested to register/update their email addresses with their respective DPs. Alternatively, the Members may register their email addresses with Bigshare Services Private Limited, the RTA of the Company, in order to receive the Annual Report by sending e-mail to investor@bigshareonline.com. The detailed process for registering of email addresses will be provided in the Notice convening the AGM.

Date: May 27, 2026
Place: Pune

For PNGS Reva Diamond Jewellery Limited
Sd/-
Kirti Vaidya
Company Secretary and Compliance Officer
ACS - 31430

PNGS GARGI FASHION JEWELLERY LIMITED

CIN: - L36100PN2009PLC133691
Registered Office : Plot No.8A, Sr No.37/1 and 37/2, Opposite Maruti Service Centre, Sinhgad Road, Wadgaon Khurd, Nanded, Pune, Haveli, Maharashtra, India, 411041
Website : www.gargibypng.com | Email-Id: investor@gargibypng.com

NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

This is to inform the Shareholders (the "Shareholders" or the "Members") of PNGS Gargi Fashion Jewellery Limited ("Company") that the **Seventeenth Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Saturday, June 27, 2026 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means** to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM which will be circulated to the Members.

This is in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with circulars issued earlier in this regard by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars), the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2025-2026 will be sent electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company/ National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (collectively referred to as "Depositories" / "DPs")/ Registrar & Transfer Agent ("Registrar" / "RTA"). The Company shall send a physical copy of the Annual Report to those Members who request for the same at investor@gargibypng.com mentioning their Folio no./DP ID and Client ID.

The e-copy of the Notice along with the Annual Report, Financial Statements and other Statutory Reports will be available on the website of the Company at www.gargibypng.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the stock exchange on which the securities of the Company are listed, i.e., BSE limited at www.bseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/ OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended and the MCA Circulars, the Company will provide the facility of remote e-Voting (e-Voting prior to and at the AGM) to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL. Detailed Procedure for remote e-Voting will be provided in the Notice of the AGM.

Since all the equity shares of the company are in Dematerialised form, Members are requested to register/update their email addresses with their respective DPs. Alternatively, the Members may register their email addresses with Bigshare Services Private Limited, the RTA of the Company, in order to receive the Annual Report by sending e-mail to investor@bigshareonline.com. The detailed process for registering of email addresses will be provided in the Notice convening the AGM.

Date: May 27, 2026
Place: Pune

For PNGS Gargi Fashion Jewellery Limited
Sd/-
Hiranyamai Deshpande
Company Secretary & Compliance Officer
ACS- 48576

तापमान
अधिकतम-43.3
न्यूनतम- 26.2नई दिल्ली
सूर्योदय- 05:25
सूर्यास्त- 07:11

3

दिल्ली में गहन पुनरीक्षण 30 जून से शुरू

एक महीने तक घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, अंतिम मतदाता सूची सात अक्टूबर को आएगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बृहत् स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन के साथ पारदर्शी तरीके से शुरू होगी। अंतिम मतदाता सूची सात अक्टूबर को आएगी।

अशोक कुमार ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 20 जून से 29 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण, गणना प्रप्रत्रों और अन्य दस्तावेजों की छपाई जैसी आंतरिक तैयारियां की जाएंगी। इस विशाल अभियान में 13 हजार बीएलओ सहित लगभग 25 हजार कर्मी शामिल होंगे। कुमार ने बताया कि गणना प्रप्रत्रों के साथ कोई दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारी ने इस बात पर जोर देते हुए बताया कि पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता न बन सके।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल एएसडीडीएफ श्रेणी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट या विदेशी) के अंतर्गत आने वाले लोगों को ही मतदाता सूची से हटाया जाएगा (उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी तथा राजनीतिक दलों को बृहत् स्तर के एजेंटों



संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार व अन्य।

(बीएलए) के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। सभी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट के जरिए साझा की जाएगी। कुमार ने कहा कि जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी और मतदाताओं को गणना प्रप्रत्र जमा करने में सहायता के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं को गणना प्रप्रत्र की दो प्रतियां दी जाएंगी, जिनमें से एक भरकर बीएलओ को लौटानी होगी। मतदाताओं को भरे हुए गणना प्रप्रत्र आनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। इस प्रक्रिया में एक अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने कहा कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन 30 जून से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान करीब एक महीने तक 13 हजार से अधिक बीएलओ घर-घर जाकर गणना कार्य करेंगे।

सीईओ कार्यालय ने बताया कि पांच अगस्त को निर्वाचन कार्यालय मतदाता सूची का मसविदा प्रकाशित करेगा, जिस पर चार सितंबर तक दिल्ली वाले अपनी शिकायत दे सकेंगे। कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारने के आवेदन दे सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची सात अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में घनी आबादी

और लगातार पलायन के कारण सूची की जांच जरूरी है। इससे नए लोगों को जोड़ने और जो अब दिल्ली में नहीं रहते उनका नाम हटाने में मदद मिलेगी।

दिल्ली वालों को इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी, इस पर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगर आपका नाम 2002 और 2025 दोनों सूचियों में है तो सिर्फ आपकी मौजूदगी में आपका नाम अपडेट हो जाएगा और अगर 2002 की सूची में आपका या आपके परिवार का नाम नहीं है तो चुनाव आयोग ने 12 दस्तावेज मांग्य किए हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज देकर आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

खजुरी खास इलाके में स्कूटी सवार बद्माशाओं ने मंगलवार को एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजा मेवाती उर्फ अक्की उर्फ अकिब (23) के रूप में हुई है।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि बद्माशाओं ने राजा पर करीब दर्जनभर गोलियां चलाईं, जिसमें से छह-सात गोलियां उसे लगीं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सौसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी है। उत्तरी पूर्वी जिला

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को एफ ब्लॉक, खजुरी खास इलाके में गोलियां चलाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी के अलावा थाने की पुलिस पहुंच गई।

मौके पर पहुंची पुलिस को घायल अवस्था में एक युवक पड़ा मिला। पुलिस उसे लेकर अस्पताल गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, मौके पर पहुंची फ्राइम व एफएसएल की टीम ने निरीक्षण के बाद साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राजा खजुरी खास इलाके में रहता था। राजा के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और अब परिवार में दो भाई हैं। राजा की गलत संगत के चलते उसके भाइयों ने उसे तालुका रखना बंद कर दिया था।

सड़क पर मिला व्यक्ति का शव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

पुरानी दिल्ली के चितली कबर बाजार में बुधवार तड़के फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, रात पर तैनात मोटरसाइकिल सवार दो पुलिसकर्मी, मुख्य आरक्षी दिनेश और अरविंद जब चितली कबर बाजार से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देर रात ढाई बजे एक नुकान के बाहर फुटपाथ पर एक व्यक्ति को लेते हुए देखा जिन्हें उन्होंने पर्यवेक्षण में ले लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच हो

सकती है। हालांकि, उसके शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं थे। मृतक ने सामान्य कपड़े और चपल पहन रखी थी।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि, उसकी पहचान करने और जांच से जुड़ी कार्रवाई जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अपराध दल ने मौके का निरीक्षण कर जांच के हिस्से के रूप में तस्वीरें और वीडियो के माध्यम से घटनास्थल का दस्तावेजीकरण किया है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव को लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के शवगृह ले जाया गया। पुलिस ने जनता से मृतक की पहचान करने में सहायता करने की अपील की है।

भाजपा सांसदों ने एलजी को समस्याओं से अवगत कराया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

दिल्ली के सातों लोकसभा सांसदों ने बुधवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उपराज्यपाल से चर्चा की। उपराज्यपाल से भेंट करने वाले सांसदों में केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष महलोत्रा, रामवीर सिंह बिधुड़ी, मनोज तिवारी, योगेश चंडोलिया, कमलजीत सहरावत, बांभुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल प्रमुख रूप से शामिल रहे। बैठक के दौरान दक्षिण दिल्ली से सांसद बिधुड़ी ने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को उपराज्यपाल के समक्ष उठाया। इनमें 69 कालोनियों को नियमित करना, ग्रामसभा की खाली पड़ी जमीन पर पाकों का विकास आदि के मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल रहे।

अब 127 वर्ग गज के भवनों में निरीक्षण की बाध्यता समाप्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

महापौर प्रवेश वाही ने बुधवार को कहा कि दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में 105 वर्ग मीटर अर्थात करीब 127 वर्ग गज तक के भवनों के नियमितकरण कार्य में आ रही बाधा को समाप्त कर दिया है।

वाही ने बताया कि अब ऐसे भवनों के नियमितकरण के लिए अभियंता के भौतिक निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस निर्णय से नागरिकों को लंबे समय से चली आ रही जटिल प्रक्रियाओं और अनावश्यक विलंब से बड़ी राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के अंतर्गत अब पूरी प्रक्रिया आनलाइन माध्यम से पूरी होगी। भवन स्वामी को केवल अधिकृत ऑफिसर की ओर से प्रमाणित चयन पत्र प्रस्तुत करना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा। इसके पश्चात दिल्ली नगर निगम की ओर से निर्धारित समयवधि के भीतर नियमितकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। प्रवेश वाही ने कहा कि इस निर्णय से न केवल नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी, बल्कि लंबे समय से लंबित पड़े नियमितकरण मामलों के निपटान में भी तेजी आएगी।

लूट मामले में छह पकड़े गए, 40 लाख की संपत्ति जब्त

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

केशवपुरम थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले चार नाबालिग समेत छह आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इन आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई रकम से अर्जित की गई करीब 40 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

आरोपियों की पहचान श्रीगंगानगर, राजस्थान निवासी धीरज रंधावा उर्फ धर्मप्रती उर्फ दयाल और मुकुंदपुर, दिल्ली निवासी आरिफ के तौर पर की गई है, जबकि चार नाबालिग हैं। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपअध्यक्ष आकांक्षा यादव के मुताबिक, मामला 17 जुलाई, 2025 को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास दिनदहाड़े हुई 39.99 लाख रुपये की लूट से संबंधित है। उस दिन पिस्तौल और चाकू से लैस आरोपियों ने शिकायतकर्ता मनोज तवानिया को लूटा और नकदी लेकर फरार हो गए। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ केशवपुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच के लिए कई टीम गठित की गईं। अधिकारी के मुताबिक, मामले की जांच के दौरान चार नाबालिगों को पकड़ा गया और दिल्ली के मुकुंदपुर निवासी आरिफ को अपराध में इस्तेमाल की गई पिस्तौल की व्यवस्था करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए, कहा

मानसून से पहले पूरा करें नालों की सफाई का काम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 मई।

राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के दौरान जलभयवर्ष की समस्या से निपटने की कवायद तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें मानसून की तैयारियों से जुड़े मामले पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बारिश शुरू होने से पहले राजधानी के सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई और गाद निकालने का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाए और इसमें किसी भी प्रचलन को लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में दिल्ली सरकार के बजट में की गई घोषणाओं, विकास कार्यों



मुख्यमंत्री ने बजट में की गई घोषणाओं और योजनाओं की समीक्षा की।

और जनहित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट में घोषित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्य तेज किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि हर

योजना को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन विभागों द्वारा बजट राशि का योजनाओं पर उचित उपयोग नहीं किया जाएगा, आगामी बजट में उनकी धरनाशि में कटौती की जा सकती है।

प्रदूषण नियंत्रण और स्कूल सुविधाओं पर जोर

रेखा गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे पर कहा कि जिन स्थानों पर धूल उड़ने की समस्या है या खाली जमीन पड़ी हुई है, वहां बड़े स्तर पर पौधारोपण अथवा घास लगाने का अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों में समय रहते सफेदी, शौचालयों की मरम्मत व बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड

रजि. ऑफिस: 904, 9वीं मंजिल, सूर्या फिनान्स बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110 001
कॉर्पोरेट ऑफिस: क्यूआरजी टॉवर, 2डी, सेक्टर-126, एक्सप्रेसवे, नोएडा-201 304 (उत्तर प्रदेश)
फोन: # 0120-3331000, फैक्स: # 0120-3332000, वेब: www.havells.com
ई-मेल: investors@havells.com, CIN - L31900DL1983PLC016304

वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतिम) के अचुकता लामांश और ऐसे शेयरों, जिन पर वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतिम) के बाद लगातार 7 सालों से लामांश अचुकता है/लामांश का दावा नहीं किया गया है को आईडीपीएफ (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष) में हस्तांतरण किये जाने के संदर्भ में

प्रिय शेयरधारक,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और आईडीपीएफ (अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड) नियम, 2016 (दि नियम) के प्रावधानों, जिनमें समय-समय पर संशोधन हुआ है, के अनुसार हमें हर कंपनी को ऐसे अनपेक्षित लामांश या दावा न किये जाने लामांश की राशि को आईडीपीएफ में अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना होता है, जो ऐसे खातों में हस्तांतरित होने के 7 (सात) वर्ष की अवधि तक अनपेक्षित या बिना दावे के रहती है।

इस नोटिस के माध्यम से, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतिम) के कंपनी के अनपेक्षित लामांश/बिना दावे के लामांश खाते में पड़ी अनपेक्षित लामांश/बिना दावे के लामांश की राशि को आईडीपीएफ में हस्तांतरित करने की नियत तारीख 31 अगस्त, 2026 पास आ रही है। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया ध्यान दें और अनपेक्षित लामांश का दावा करें। इस संबंध में कंपनी द्वारा पहले से ही उपलब्ध शेयरधारकों को पत्र और ईमेल भेजने के माध्यम से पुनः संचार किया गया है।

इस नोटिस के माध्यम से, हम खासकर ऐसे शेयरधारकों का भी ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनका वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से यानि पिछले 7 (सात) वर्षों से अनपेक्षित है/बिना दावे का है। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरधारकों के अंतर्निहित शेयर भी आईडीपीएफ में हस्तांतरित कर दिये जाएंगे। एक बार ये शेयर आईडीपीएफ में हस्तांतरित होने के बाद शेयरधारक अपने सभी मतदान अधिकारों से वंचित हो जायेंगे और इन शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ, जैसे डिविडेंड, बोनस शेयर, रिस्टर्न, कंसॉलिडेशन आदि खाते हों, क्योंकि शेयरों के साथ ही ये भी आईडीपीएफ को ट्रांसफर कर दिये जाएंगे।

वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत से ऐसे शेयरधारकों की पूरी सूची, जिनके लामांश अनपेक्षित है, उनके फोलियो/डीपी-आईडी ग्राहक आईडी सहित कंपनी के अनपेक्षित लामांश खाते में दी गई है। जिनके शेयर आईडीपीएफ के हस्तांतरित किये जाने हैं, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट <https://havells.com/en/discover-havells/investor-relation/unclaimed-dividend.html> पर कॉर्पोरेट खंड में निवेशकों के तहत अनपेक्षित लामांश खंड में दी गई है।

आपके हित में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने शेयरों को आईडीपीएफ में हस्तांतरित होने से रोकने के लिए हस्तांतरण की नियत तारीख से पहले, सादे कागज में निर्धारित प्रारूप में अपने हस्ताक्षर सहित (प्रारूप कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है) भेजकर अपने लामांश का दावा करें।

यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं: डिजिटल डिवाइस द्वारा प्रदान की गई क्लाइंट मास्टर सूची (डीपी) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित) जमा की जानी है। भुगतान डीमैट खाते के तहत पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा।

यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं: निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म आईएसआर-1 और फॉर्म आईएसआर-2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार, खाताधारक के रूप में आपका नाम बताते हुए मूल कैंसल चेक सहित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत मरा हुआ हो।

इसके अलावा, आपसे यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके फोलियो में केवाईसी विवरण पूर्ण हो और केवल तभी लामांश का भुगतान आपके पक्ष में किया जा सकता है।

भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पेन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सेबी के आदेश के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए पेन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पेन, मोबाइल नंबर सहित संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और भौतिक फोलियो के संबंध में हस्ताक्षर के पूर्ण न होने की स्थिति में, निवेशक को तब तक कोई लामांश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उपरोक्त सभी केवाईसी विवरण पूर्ण नहीं हो जाते।

एक बार अपडेट होने के बाद, कंपनी द्वारा घोषित लामांश के भुगतान के लिए प्रारूप के इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

कॉर्पोरेट->शेयरहोल्डर्स कॉर्नर->डाउनलोड उपरोक्त संदर्भित फॉर्म के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट www.havells.com पर जाएं।

सेबी के मार्गदर्शकों के अनुसार, यदि फोलियो केवाईसी के अनुरूप है तो बकाया भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

यदि 31 अगस्त, 2026 तक लामांश का दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी आईडीपीएफ नियमों के अनुसार, आपके द्वारा रखे गए लामांश और शेयरों को आईडीपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

कृपया अपना अनुरोध कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, क्यूआरजी टॉवर, 2डी, सेक्टर 126, एक्सप्रेसवे, नोएडा-201304 (उ.प्र.) पर भेजें, दूरभाष: 0120-3331000, फैक्स: 0120-3332000, ईमेल: investors@havells.com, वेबसाइट: www.havells.com

यदि आपके पास कोई प्रश्न है या इस मामले में किसी सहायता की आवश्यकता है, तो आप हमेशा कंपनी के ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कृते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड
लगातार /-
संजय कुमार गुप्ता
कंपनी सचिव

नोएडा, 27 मई, 2026

केनरा बैंक Canara Bank

एन सी ई ५००
A Government of India Undertaking

प्रधान कार्यालय, 112, जे.सी. रोड, बेंगलूरु-560 002. www.canarabank.bank.in

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 23 जून, 2026 को भारतीय मानक समय के अनुसार, सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रेय दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी। यह बैठक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हेतु आयोजित की जाएगी:

- दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित तुलना पत्र, लाभ एवं हानि खाता, लेखा विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उस अवधि में बैंक के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अंतर्गत विचार करना एवं उसका अनुमोदन कर उसे अपनाना।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लामांश घोषित करना।
- श्री सुनील कुमार घुघ को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना तथा उसे अनुमोदित करना।
- सुश्री शालिनी पंडित को बैंक के सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां 24वीं एजीएम की सूचना के साथ उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी संबंधित निष्पागार सहभागी, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। इसकी एक प्रति बैंक की वेबसाइट www.canarabank.bank.in, स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई/एनएसई) की वेबसाइट और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध होगी। केनरा बैंक का प्रधान कार्यालय वार्षिक आम बैठक का स्थल माना जाएगा।

रिकॉर्ड तिथि/अंतिम तिथि:
लामांश के लिए शेयरधारकों के अधिकारों की गणना के लिए निर्धारित (रिकॉर्ड) तिथि शुक्रवार, 12 जून 2026 है और वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ई-वोटिंग की अंतिम तिथि मंगलवार, 16 जून, 2026 है। अंतिम तिथि तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक उपयुक्त कार्यसूची (एजेंडे) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से (रिमोट ई-वोटिंग) अपना वोट डालने के पात्र हैं।

लामांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि और लामांश पर लागू टीडीएस:
लामांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि 12 जून, 2026 है। वार्षिक आम बैठक में लामांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लामांश का भुगतान किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लामांश उसको शेयरधारकों के लिए कर योग्य है और बैंक को शेयरधारकों को भुगतान किए गए लामांश से लागू दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) कटौती आवश्यक है। लामांश के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस के संबंध में शेयरधारकों को पहले ही एक अलग ईमेल भेजा जा चुका है।

रिमोट ई-वोटिंग:
रिमोट ई-वोटिंग पोर्टल शुक्रवार, 19 जून, 2026 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगा और सोमवार, 22 जून, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) तक मतदान के लिए खुला रहेगा। रिमोट ई-वोटिंग पोर्टल 22 जून, 2026 को भारतीय समय अनुसार शाम 05:00 बजे (आईएसटी) के बाद अक्षम कर दिया जाएगा।

ई-वोटिंग
24वीं वार्षिक आम बैठक में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित पात्र शेयरधारक, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे 24वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

नोट:
a) 24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करने वाले और अंतिम तिथि तक शेयर धारण करने वाले शेयरधारक evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग/एजीएम में भाग लेने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

b) जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से दोबारा अपना वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

c) केवल वे व्यक्ति जिन्होंने नाम अंतिम (कट-ऑफ) तिथि तक निष्पागार (डिपॉजिटरी) द्वारा बनाए गए शेयरधारकों के रजिस्ट्रार या लाभकारी मालिकों के रजिस्ट्रार में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाएंगे और 24वीं एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे।

d) भौतिक रूप में और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट www.canarabank.bank.in पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

e) जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकरण नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित निष्पागार सहभागी के पास इसे पंजीकरण करें और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट (आरटीए) यानी कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ ई-मेल आईडी को inward.ris@kfintech.com पर अद्यतन करें ताकि वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 की प्रतियां, एजीएम की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 24वीं एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश और लॉगिन के लिए पासवर्ड प्राप्त हो सकें।

f) जिन शेयरधारकों ने अपना मेल पता पंजीकरण नहीं किया है, वे <https://ris.kfintech.com/client-services/mobile/egvoting/mobilemailreg.aspx> लिंक पर क्लिक करके अस्थायी रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।


g) जो शेयरधारक अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल भूल जाते हैं, वे अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल पुनः प्राप्त/रीसेट करने के लिए inward.ris@kfintech.com पर आरटीए (कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) से संपर्क कर सकते हैं।

h) ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न/संकेपनी की सहायता के मामले में शेयरधारक सदस्य हमारे आरटीए (कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या निम्नलिखित पते पर कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष श्री शशिधर एम मन्ना से संपर्क कर सकते हैं।

कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: केनरा बैंक), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32 गजीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032.

i) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के समग्र परिणाम एजीएम के दो कार्य दिवसों के भीतर बैंक की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई/एनएसई) की वेबसाइट और कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट को नौ बजे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके डाउनलोड किया जा सकता है।



दिनांक: 27.05.2026
स्थान: बेंगलूरु

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
संतोष कुमार बारिक
कंपनी सचिव

